

सुधारित

केरोसीन नियतन आदेश

माहे : सप्टेंबर २०१५

क्र.अ.का./कक्ष-१/पुरवठा/कावि/ /२०१५

जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे कार्यालय

दिनांक:- ११ सप्टेंबर, २०१५

शासन पत्र क्रमांक केईआर-२०१५/३८६/सीआर-२३८/ सीएस-२७ दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये शासनाने गोंदिया जिल्ह्यास सुधारित नियतन माहे सप्टेंबर २०१५ करीता प्रतिमाह केरोसीन नियतन खालील प्रमाणे मंजूर केले आहे.

| | |
|---|-----|
| १. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | १०८ |
| २. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | १४४ |
| ३. इंडीयन ऑईल पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | ५४० |

एकूण- ७९२ कि.ली.

(१) केरोसीन नियतनाचे एजंट निहाय, तालुका निहाय व घाऊक/अर्धघाऊ केरोसीन परवानाधारक निहाय केरोसीन नियतनाचे आदेश देण्यात येत आहे.

(२) ज्या केरोसीन एजेंटकडे अर्धघाऊक परवाने देखील आहेत त्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणापर्यंत केरोसीन पोहोचते करावे.

(३) शासन पत्र क्र.रॉकेल-१०००/१४६३/प्र.क्र.१०७२/नापु-२७ दिनांक १२-१-२००१ मधील आदेशाप्रमाणे कंपनी एजंट यांनी खाली दर्शविलेल्या मुदतीत कंपनीकडून केरोसीनची उचल केली पाहिजे.

(४) कोटयाच्या ६०% टक्के उचल महिन्याचे १० तारखे पर्यंत

(५) कोटयाच्या ८५% टक्के उचल महिन्याचे १७ तारखे पर्यंत

(६) कोटयाचे १००% टक्के उचल महिन्याचे २५ तारखेपर्यंत

(७) अर्धघाऊक परवानाधारकांनी सुध्दा त्यांना देण्यात आलेले नियतन वरील तारखेपर्यंत एजंटकडून दिलेले नियतन उचल करून तहसीलदार यांनी ठरवून दिल्यानुसार किरकोळ, हॉर्कर्स, स्वस्तधान्य दुकानदार यांना वाटप करावे.

(८) केरोसीन एजंट व घाऊक/अर्धघाऊक परवानाधारकांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे मुदतीत केरोसीनची उचल करून त्याबाबतचा अहवाल १, १६, व २६ तारखेस या कार्यालयास सादर करावेत. तसेच वाटप केल्याबाबतचा अहवाल तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्रासहीत सादर करावेत.

(९) क्रमांक २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जे केरोसीन एजंट /अर्धघाऊक परवानाधारक आहेत त्यांनी केरोसीन किरकोळ परवानाधारकांच्या व्यवसायाचे ठिकाणापर्यंत पोहोचते करावे.

(१०) माहे फेब्रुवारी १९९९ पासून जिल्ह्यात केरोसीन द्वारपोच वितरण योजना सुरु असून सर्व एजंट, घाऊक/ अर्धघाऊक परवानाधारकांनी त्यांना देण्यात येणारा कोटा ५०% टक्के गावांना किरकोळ परवानाधारकांना द्वारपर्यंत किवा नजीकच्या गावां-पर्यंत तरी पोहोचता करावा. ज्या मार्गावरती त्यांचे टँकर जाणार आहेत त्या मार्गावरचा/जवळच्या सर्व परवानाधारकांना व स्वस्तधान्य दुकानदारांना प्रथम सुचना द्याव्यात. त्यांना देण्यात येणा-या व जोडण्यात आलेल्या गावांना वाटप करतेवेळी तहसीलदार यांनी नेमलेल्या प्रतिनिधी समोर वाटप न केल्यास त्याची जवाबदारी घाऊक/अर्धघाऊक विक्रेत्यावर निश्चित करून त्यांच्या विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. द्वार वितरण योजनेत वाटप करावयाच्या कोटयाचा प्रति आराखडा संबंधीत तहसिलदार यांचेकडून प्राप्त करून त्याचप्रमाणे महिन्यातून कमीत कमी दोन ग्रेजेस वाटप करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. अर्धघाऊक विक्रेत्यांच्या ठिकाणापर्यंत केरोसीन पोहोचविण्याची जवाबदारी एजंटची राहिल. ज्या डेपोचा केरोसीन कोटा मंजूर केला आहे त्या डेपोच्या दराप्रमाणे एजंट/घाऊक/अर्धघाऊक परवानाधारक यांनी विक्री करणे बंधनकारक आहे. ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसे घेतल्याचे निर्दर्शनास आल्यास नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

(११) एजंट/घाऊक/अर्धघाऊक विक्रेत्यांनी टँकर प्राप्त झाल्यानंतर तो शिलबंद टँकर प्रथम तहसील कार्यालयात घेवून जावून तहसीलदार/निरिक्षण अधिकारी/पुरवठा निरिक्षक/नायब तहसीलदार यांचे कडून पाहणी होवून त्याची नोंद तहसील कार्याल-यातील नोंदवहीमध्ये झाल्यावर टँकर प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेवून डेपोमध्ये व या कार्यालयात दाखल करावे. वेळोवेळी शासनाने व या कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केरोसीनची उचल व वाटप करून त्याचा अहवाल पुढील महिन्याचे १ तारखेस सादर करावा. अहवाल वेळेवर सादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जवाबदारी एजंट/घाऊक/अर्धघाऊक परवानाधारकावर राहिल याची नोंद घ्यावी.

Dal

(१२) तहसीलदार/पुरवठा निरीक्षक/निरीक्षण अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी तालुक्यातील नेमून दिलेल्या नियतनांची विहित केलेल्या तारखांना एजंट, घाउक/अर्धघाउक परवानाधारक यांनी उचल करून स्वस्तधान्य दुकानदार, किरकोळ परवानाधारक/हॉकर्स यांचे मार्फत कार्डधारकांना वाटप करतात किंवा नाही यासाठी वेळोवेळी अचानक तपासणी करून अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

(१३) गोंदिया जिल्हयातील घाउक/अर्धघाउक परवानाधारकांना या आदेशद्वारे मंजूर करण्यात येत असलेले तालुका निहाय नियतन.

तालुका निहाय घाऊक/अर्धघाऊक नियतन

| अ. क्र. | घाऊक/अर्धघाउक परवानाधारकाचे नाव | हिंदु | भारत | इंडियन ऑईल कार्पो. लि | | | | | | एकूण नियतन के.एल. मध्ये |
|---------|--|----------|---------|-----------------------|---------|----------|----------|--------|---------|-------------------------|
| | | स्तान | पेट्रो. | केलंका | मे. | देवेंद्र | मे. गौरी | महादेव | मे. अमृ | |
| | | पेट्रो. | लि. | एन्ड | हवालदार | कुमार | शंकर | चुन्नी | तलाल | |
| | | राधेश्या | मे.बुध | एन्ड | कांबळे | महेश | एन्ड | लाल | एन्ड | |
| | | म | सिंग | ब्रदर्श | गोंदिया | कुमार | सन्स | तिरोडा | कंपनी | |
| | | अग्रवा | सिंग | गोंदिया | गोंदिया | गोंदिया | गोंदिया | | आमगाव | |
| | | ल | गोंदिया | | | | | | | |
| | | सौदड | | | | | | | | |
| १. | | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| | | | | गोंदिया तालुका | | | | | | |
| १ | मे. केलंका एन्ड ब्रदर्श, गोंदिया | - | - | ७२ | - | - | - | - | - | ७२ |
| २ | मे. हवालदार कांबळे, गोंदिया | - | - | - | ४८ | - | - | - | - | ४८ |
| ३ | मे. देवेंद्र कुमार महेश कुमार, गोंदिया | - | - | - | - | ३० | - | - | - | ३० |
| ४ | मे. गौरीशंकर एन्ड सन्स, गोंदिया | - | - | - | - | - | ४८ | - | - | ४८ |
| | एकूण:- | - | - | ७२ | ४८ | ३० | ४८ | - | - | १९८ |
| | | | | तिरोडा तालुका | | | | | | |
| १ | मे. महादेव चुन्नीलाल, तिरोडा | - | - | - | - | - | - | ६० | - | ६० |
| २ | मे. कमलेश एजंसी तिरोडा | - | - | २४ | - | - | - | - | - | २४ |
| ३ | मे. गौरीशंकर एन्ड सन्स, गोंदिया | - | - | - | - | - | १२ | - | - | १२ |
| | एकूण:- | - | - | २४ | - | - | १२ | ६० | - | ९६ |
| | | | | गोरेगाव तालुका | | | | | | |
| १ | मे. व्ही. सी. पांडेआईल एजंसी गोरेगाव | - | २४ | -- | २४ | - | - | १२ | १८ | ७८ |
| २ | मे. हवालदार कांबळे, | -- | -- | - | १२ | - | - | - | - | १२ |
| | एकूण :- | - | २४ | -- | ३६ | - | - | १२ | १८ | ९० |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
|---|---------------------------------------|----|----|---|----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|
| ४ | | | | | आमगाव तालुका | | | | | |
| १ | मे. अमृतलाल एन्ड कं. आमगाव | - | - | - | - | - | - | - | ६६ | ६६ |
| २ | मे. गौरी शंकर अन्ड सन्स आमगाव | - | - | - | - | - | - | १२ | - | १२ |
| ५ | एकूण:- | - | - | - | - | - | - | १२ | ६६ | ७८ |
| | | | | | सालेकसा तालुका | | | | | |
| १ | मे. कांतीलाल अग्रवाल सालेकसा | - | - | - | - | १८ | - | - | १२ | ३० |
| २ | मे. गौरीशंकर एन्ड सन्स गोंदिया | - | - | - | - | - | २४ (द्वरपोच) | - | - | २४ |
| ३ | मे. देवेद्रकुमार महेशकुमार गोंदिया | - | - | - | - | १२ | - | - | - | १२ |
| | एकूण:- | -- | -- | - | - | ३० | २४ | - | १२ | ६६ |
| ६ | | | | | देवरी तालुका | | | | | |
| १ | मे. देवेद्रकुमार महेशकुमार गोंदिया | - | - | - | - | २४ (द्वरपोच) | - | - | - | २४ |
| २ | अनिलकुमार अग्रवाल देवरी | ३६ | - | - | - | - | - | ० | - | ३६ |
| ३ | गौरीशंकर अन्ड सन्स | - | - | - | - | - | १२ (द्वरपोच) | - | - | १२ |
| | एकूण:- | ३६ | - | - | - | २४ | १२ | - | - | ७२ |
| ७ | | | | | सडक/अर्जुनी | | | | | |
| १ | आनंदकुमार अग्रवाल कोहमारा | १२ | - | - | - | - | - | - | - | १२ |
| २ | ललीतकुमार अग्रवाल स/अर्जुनी | २४ | - | - | - | - | - | - | - | २४ |
| ३ | राकेशकुमार जैन डव्या | १२ | - | - | - | - | - | - | - | १२ |
| ४ | मे. अग्रवाल ट्रेडर्स पाटेकुर्वा | १२ | - | - | - | - | - | - | - | १२ |
| ५ | जयप्रकाश मोदी सौंदड | १२ | - | - | - | - | - | - | - | १२ |
| ६ | पुरुषोत्तम रोकडे बोपाबोडी | ९ | - | - | - | - | - | - | - | ९ |
| ७ | पी. आर. लोहीया, सौंदड | १५ | - | - | - | - | - | - | - | १५ |
| | बेरीज:- | ९६ | ० | - | - | - | - | - | - | ९६ |

